संख्या-23/2016/720/छत्तीस-2-2016-36/11

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 27 मई, 2016

विषयः- बुन्देलखण्ड के जनपदों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक अंशदान की धनराशि को स्थगित रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-185/भ0स0नि0(1201) दिनांक 13.04.2016 एवं अनुवर्ती पत्र संख्या-373/भ0नि0बो0(1201)-16, दिनांक 30.04.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बुन्देलखण्ड में सूखाग्रस्त होने तथा वहॉ की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तें विनियमन) नियमावली, 2009 की धारा-276(2) में निर्धारित पंजीयन शुल्क तथा नियम-279(1) में निर्धारित वार्षिक अंशदान की धनराशि बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त समस्त जनपदों हेतु 30 सितम्बर, 2016 तक इस शर्त के साथ स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया है कि पात्र श्रमिकों का पंजीयन व नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्व की भॉति किए जाने व श्रमिकों द्वारा योजनाओं में हितलाभ हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर यदि इसकी स्वीकृति दी जाती है, तो पंजीयन/वार्षिक अंशदान की धनराशि समायोजित करते हुए भुगतान किया जाए। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2016/720(1)/छत्तीस-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
3. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
4. निदेशक, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री।
6. मण्डलायुक्त, चित्रकूट/झॉसी मण्डल।
7. चित्रकूट/झॉसी मण्डल के समस्त जिलाधिकारी।
8. उप श्रमायुक्त, चित्रकूट/झॉसी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बृजेन्द्र मणि पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in